IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

# INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

## IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 9, Issue 12, December 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

# सहकारी समितियों में कृषि ऋण का महत्व

**Dr. Geeta Nai**

Assistant Professor, Dept. of Commerce, J.B. Shah Girls P.G. College, Jhunjhunu, Rajasthan, India

## सार

वर्ष 2012-13 से प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन फसल ऋण (राशि रू.3.00 लाख तक) 0 (शून्य) प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2020-21 में 10 प्रतिशत बेसरेट के अधीन राज्य शासन द्वारा सभी कृषको को 5 प्रतिशत् ब्याज सहायता एवं शेष 5 प्रतिशत् (2+3) ब्याज सहायत केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

**वर्ष 2019-20 से कृषकों को शून्य प्रतिशत् ब्याज दर पर उपलब्ध कराये गये कृषकों की संख्या एवं अनुदान राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-**

(संख्या लाखों में राशि करोड़ों में)

| वर्ष | लाभांवित किसानों की संख्या (खरीफ + रबी) | किसानों को प्रदत्त अनुदान की राशि | राज्य शासन द्वारा निर्गमित राशि |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 26.27 | 381.00 | 63.06 |
| 2020-21 | 30.42 | 413.00 | 236.19 |

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘आत्मनिर्भरभारत‘‘ के अन्तर्गत ‘‘कृषि अंधोसंरचना निधि‘‘ (ए.आई.एफ) के माध्यम से लंबी अवधि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर सहकारी क्षेत्र में संस्थाओं के उन्नयन करने तथा कृषि अद्योसंरचना निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार कर कार्यवाही की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत योजना अन्तर्गत कृषि अधोसंरचना कोष से पैक्स, विपणन एवं बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा शासकीय प्रति भूति पर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत म.प्र. में पैक्स द्वारा 300 डी.पी.आर राशि रू. 79.70 करोड़ की तैयार की जाकर जिला बैंकों द्वारा 239 प्रोजेक्ट रू. 57.28 करोड़ के स्वीकृत किये गये है, एवं नाबार्ड से 52.72 करोड़ रू. पुर्न वित्त हेतु स्वीकृत किये गये है। योजनार्न्तगत पोस्ट हार्वेस्ट प्रोजेक्ट- यथा वेयरहाउस निर्माण, प्रोसेसिंग यूनिट, ई-मण्डी आदि स्वीकृत किये है।

‘‘आत्मनिर्भर म.प्र.‘‘ योजना के अन्तर्गत पैक्स संस्थाओं में कृषकों के लिए ऋण, विपणन एवं अन्य सेवायें प्रदान करने हेतु, ‘‘सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएससी)‘‘ की स्थापना हेतु 03 वर्षीय कार्य योजना तैयार की गई है। योजनान्तर्गत पैक्स में 4000 ‘‘सामान्य सुविधा केन्द्र‘‘ खोले जायेगें। इनमें से 2137 केन्द्रों में कार्य प्रारंभ हो चुका है।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों द्वारा रबी 2015-16 से अल्पावधि फसल ऋण में वस्तु ऋण की राशि पर 10 प्रतिशतद्य अधिकतम रू.10000/- प्रति कृषक प्रतिवर्ष अनुदान देय है।

योजना अंतर्गत उन्हीं कृषकों को लाभ मिलेगा जिनक द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लिये गये अल्पावधि ऋण में से नगद ऋण शत्- प्रतिशत् एवं वस्तु ऋण की 90 प्रतिशत् राशि की अदायगी ड्यू डेअ तक जमा की गई।

अनुदान वस्तु ऋण के 10 प्रतिशत् के आधार पर आंकलित कर खरीफ मौसम में वितरित (01 अप्रैल से 30 सितम्बर) ऋण का तृतीय त्रैमास एवं रबी (01 अक्टूबर से 31 मार्च) में वितरित ऋणों का आगामी वर्ष के प्रथम त्रैमास में अग्रिम प्रदान किया जावेगा।

रबी वर्ष 2015-16 योजनांतर्गत 6.12 लाख कृषकों को राशि रू. 88.48 करोड़ का लाभ उपलब्ध कराया गया है।

## परिचय

प्रदेश में एन.सी.डी.सी.नई दिल्ली एवं राज्य शासन की वित्तीय सहायता से वर्ष 1994 से एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं संचालित है। परियोजनाओं अंतर्गत संबंधित जिले की विभिन्नर सहकारी संस्थाओं को अद्योसंरचना विकास बैंकिंग काउंटर, लाकर, फर्नीचर फिक्चर, नावजाल, केन, साईकिल इत्यादि आवश्यक सामग्री हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।[1,2]

योजनान्तर्गत एन.सी.डी.सी.नई दिल्ली से राज्य शासन को 80 प्रतिशत ऋण एवं 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है तथा राज्य शासन द्वारा परियोजनाओं को 50 प्रतिशत ऋण 30 प्रतिशत अंशपूंजी एवं 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में दिसम्बर 2019 तक 42 जिलों में परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है एवं 6 परियोजना क्रमशः छतरपुर, सतना, मण्डला, सतना, मुरैना एवं श्योपुर संचालित है। शेष 3 जिले क्रमशः डिण्डोरी, दतिया एवं दमोह की डी.पी.आर.तैयार की जाकर स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से लगभग विभिन्न क्षमताओं के नवीन गोदाम निर्माण से 2.50 लाख मे.टन एवं जीर्णशीर्ण गोदामों की मरम्मत से लगभग 0.55 लाख एम.टी.भण्डारण क्षमता विकसित हुई है। इस प्रकार प्रदेश में परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 3.05 लाख मे.टन भण्डारण क्षमता विकसित हुई है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली तथा राज्य शासन के सहयोग से पूर्ण हो चुकी 36 एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

(राशि लाखों में)

| क्रमांक | परियोजना | शामिल जिले | लागत |
|---|---|---|---|
| 01 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 748.30 |
| 02 | रायसेन | रायसेन | 734.95 |
| 03 | छिन्दवाड़ा | छिन्दवाड़ा | 1112.56 |
| 04 | गुना | गुना/अशोक नगर | 794.87 |
| 05 | रतलाम | रतलाम | 1225.95 |
| 06 | जबलपुर | जबलपुर/कटनी | 1338.33 |
| 07 | भिण्ड | भिण्ड | 1290.00 |
| 08 | राजगढ़ | राजगढ़ | 1279.00 |
| 09 | खरगौन | खरगौन/बड़वानी | 861.27 |
| 10 | सीधी | सीधी/सिंगरोली | 509.98 |
| 11 | सागर | सागर | 1600.00 |
| 12 | सीहोर | सीहोर | 1727.40 |
| 13 | उज्जैन | उज्जैन | 1675.20 |
| 14 | विदिशा | विदिशा | 1246.16 |
| 15 | झाबुआ | झाबुआ/अलीराजपुर | 1235.50 |
| 16 | मंदसौर | मंदसौर | 1869.68 |
| 17 | नीमच | नीमच | 918.05 |

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | इंदौर | इंदौर | 1906.78 |
| 19 | बैतूल | बैतूल | 1660.25 |
| 20 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | 1130.74 |
| 21 | खंडवा | खंडवा | 1311.21 |
| 22 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | 747.20 |
| 23 | शहडोल | शहडोल | 682.92 |
| 24 | उमरिया | उमरिया | 682.92 |
| 25 | अनुपपुर | अनुपपुर | 305.67 |
| 26 | शाजापुर | शाजापुर/आगर | 2857.10 |
| 27 | रीवा | रीवा | 1213.56 |
| 28 | बालाघाट | बालाघाट | 2119.05 |
| 29 | होशंगाबाद | होशंगाबाद | 2857.59 |
| 30 | हरदा | हरदा | 1502.98 |
| 31 | सिवनी | सिवनी | 2362.24 |
| 32 | भोपाल | भोपाल | 1445.65 |
| 33 | देवास | देवास | 3419.95 |
| 34 | शिवपुरी | शिवपुरी | 2862.02 |
| 35 | धार | धार | 3996.50 |
| 36 | ग्वालियर | ग्वालियर | 1749.29 |

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

वर्तमान में संचालित परियोजनाए

(राशि लाखों में)

| क्रमांक | परियोजना | शामिल जिले | कार्यकाल | लागत |
|---|---|---|---|---|
| 01 | छतरपुर | छतरपुर | वर्ष 2013-14 से 31.12.2018 तक | 2500.60 |
| 02 | मण्डला | मण्डला | 01.07.2016 से 30.06.2021 तक | 3333.40 |
| 03 | मुरैना | मुरैना | 01.07.2016 से 30.06.2021 तक | 3686.92 |
| 04 | श्योपुर | श्योपुर | 01.07.2016 से 30.06.2021 तक | 3077.73 |
| 05 | पन्ना | पन्ना | 01.07.2016 से 30.06.2021 तक | 3135.46 |
| 06 | सतना | सतना | 01.07.2016 से 30.06.2021 तक | 2967.58 |

- 03 जिलों क्रमशः दतिया दमोह एवं डिण्डोरी में परियोजनाएं प्रारंभ किये जाने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार की जाकर शासन को प्रेषित की गई है।

**सहकारी भण्डारण योजना 2012 (आर.के.व्ही.वाय.)**

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1000 मेट्रिक टन क्षमता के 200 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य।
2. योजनान्तर्गत भण्डारण क्षमता में वृद्धि प्रस्तावित 2 लाख मेट्रिक टन।
3. योजनान्तर्गत सहकारी विभाग द्वारा शासकीय भूमि पर गोदाम निर्माण।
4. वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक राशि रू. 56.00 करोड़ आहरित।
5. 90 स्थानों पर गोदाम निर्माण कार्य निर्माणाधीन, जिसके विरूद्ध 80 स्थानों पर गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण।
6. वर्ष 2015-16 हेतु 40 गोदाम निर्माण हेतु निविदा कार्य पूर्ण।
7. वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के शेष रहे 70 गोदामों हेतु भूमि चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

**भण्डारगृह निर्माण योजना 2012**

सुदूर ग्रामीण अंचलों में कृषकों की सुविधा के उद्देश्य से भण्डारण क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर राज्य शासन ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण कराने का निर्णय लिया है। इस योजनान्तर्गत

1. राज्य शासन द्वारा संस्थाओं को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना। लगभग 1500 पैक्स/लेम्पस हेतु संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटित।[3,4]

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

2. आगामी 5 वर्षों में 500 मेट्रिक टन क्षमता के 300 गोदाम निर्माण से 1.50 लाख मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य।
3. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली द्वारा गोदाम निर्माण लागत का 50 प्रतिशत ऋण तथा 20 प्रतिशत अनुदान एवं राज्य शासन द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान।
4. वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में प्रदेश की 120 समितियों हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्वीकृति प्राप्त।
5. निर्माण कार्य के लिये शासकीय बजट में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रू. 12.00 करोड़ का प्रावधान।
6. निर्माणाधीन 120 गोदामों में से 66 गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण। शेष प्रक्रियाधीन।
7. तृतीय चरण हेतु भी 60 समितियों का चयन पूर्ण किया जाकर एन.सी.डी.सी.नई दिल्ली को राज्य शासन के माध्यम से प्रेषित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

## विपणन सहकारी संस्थाओं का सुदृढीकरण

मध्यप्रदेश में 245 प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाऐं पंजीकृत हैं। इन संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु म.प्र. शासन द्वारा 3 वर्षीय योजना स्वीकृत की गई है जिसके अनुसार 3 वर्षों में 164 विपणन सहकारी संस्थाओं को अंशपूंजी व ऋण के रूप में रू. 12 लाख प्रति संस्था की दर पर कुल राशि रू.19.68 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदाय किया जाना है |

वर्ष 2014 - 15 में 25 संस्थाओं को राशि रू. 3.00 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जायेगी |

## विभागीय ई-गवर्नेंस परियोजनाए

विभाग द्वारा ई-गवर्नेंस क्षेत्र में विभागीय वेबसाइट: http://cooperatives.mp.gov.in एवं विभागीय वेब पोर्टल "म.प्र. राज्य सहकारी पोर्टल (ई-कोआपरेटिव्स)": http://www.mp.nic.in/ecooperatives का संचालन किया जा रहा है| जिसमे विभाग की विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन कर जन सामान्य तक पहुचाये जाने का प्रयास किया जा रहा है|[5,6]

ई-गवर्नेंस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए विभाग द्वारा मैप आई.टी. की सहायता से सहकारी संस्थाओं के ऑनलाईन पंजीयन हेतु एक वेब पोर्टल ICMIS (एकीकृत सहकारी प्रबंधन सूचना प्रणाली) डेवलप किया गया है, जिसमें सहकारी संस्थाओं के पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन से लेकर पंजीयन प्रमाण-पत्र तक की संपूर्ण प्रक्रिया एण्ड टू एण्ड ऑनलाईन है। साथ ही, मैप आई.टी. की सहायता से RCMS की तर्ज पर सहकारी न्यायालयीन प्रणाली की मॉनिटरिंग हेतु Cooperative Judicial Court Case Management System भी डेवलप किया गया है, जिसमे सहकारी न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों की ऑनलाइन मोनिटरिंग की व्यवस्था है| साथ ही, प्रदेश स्तर पर लागू किये गए ऑनलाइन एप्लीकेशन-सूचना के अधिकार अंतर्गत आर.टी.आई. ट्रेकिंग एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को विभाग में लागू किया गया है| ई-कोआपरेटिव्स पोर्टल से प्रदेश स्तर की समस्त सहकारी संस्थाओं का सिस्टम आधारित अंकेक्षण आवंटन तथा सहकारी संस्थाओं के वैधानिक अंकेक्षण हेतु प्रतिवर्ष सनदी लेखपालो का ऑन-लाईन पैनल तैयार किया जाता है|

विभाग द्वारा एन.आई.सी.के माध्यम से ऑनलाइन नस्तीयों के प्रेषण हेतु "ई-ऑफिस" सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन मुख्यालय स्तर पर किया जा रहा है|

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

विभाग द्वारा विभिन्न जी.टू.सी. एवं जी.टू.जी. सेवाओं अंतर्गत विभाग के विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता लाने का प्रयास किया गया है। इस पोर्टल के क्रियान्वयन से विभाग के अनेक कार्यों का निष्पादन अपेक्षाकृत गति से हो रहा है।

## विचार-विमर्श

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की दक्षता बढ़ाने तथा उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने व विभिन्न गतिविधियां/सेवाएं शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में कुल 2516 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 1528 करोड़ रुपये की होगी, के साथ पांच वर्षों की अवधि में लगभग 63,000 कार्यरत पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है।

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां (पैक्स) देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) की त्रि-स्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर अपनी भूमिका निभाती हैं, जहां लगभग 13 करोड़ किसान इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं। देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए केसीसी ऋणों में पैक्स का हिस्सा 41 प्रतिशत (3.01 करोड़ किसान) है और पैक्स के माध्यम से इन केसीसी ऋणों में से 95 प्रतिशत (2.95 करोड़ किसान) छोटे व सीमांत किसानों को दिए गए हैं। अन्य दो स्तरों अर्थात राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को पहले ही नाबार्ड द्वारा स्वचालित कर दिया गया है और उन्हें साझा बैंकिंग सॉफ्टवेयर (सीबीएस) के तहत ला दिया गया है।[7,8]

हालांकि, अधिकांश पैक्स को अब तक कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है और वे अभी भी हस्तचालित तरीके से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके संचालन में अक्षमता और भरोसे की कमी दिखाई देती है। कुछ राज्यों में, पैक्स का कहीं-कहीं और आंशिक आधार पर कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर में कोई समानता नहीं है और वे डीसीसीबी एवं एसटीसीबी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में, पूरे देश में सभी पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने और उनके रोजमर्रा के कार्य-व्यवहार के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा मंच पर लाने तथा एक सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) के तहत रखने का प्रस्ताव किया गया है।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने तथा किसानों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों (एसएमएफ) को दी जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करने के अलावा, पैक्स का कम्प्यूटरीकरण विभिन्न सेवाओं एवं उर्वरक, बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिंदु बन जाएगा। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बेहतर बनाने के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के केन्द्र के रूप में पैक्स की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसके बाद डीसीसीबी खुद को विभिन्न सरकारी योजनाओं (जिसमें ऋण और अनुदान शामिल होती हैं) , जिन्हें पैक्स के माध्यम से लागू किया जा सकता है, के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक के रूप में नामांकित कर सकते हैं। यह कदम ऋणों के त्वरित निपटान, अपेक्षाकृत कम हस्तांतरण लागत, त्वरित लेखा परीक्षा और राज्य सहकारी बैंकों एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ भुगतान व लेखांकन संबंधी असंतुलन में कमी सुनिश्चित करेगा।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

इस परियोजना में साइबर सुरक्षा एवं आंकड़ों के संग्रहण के साथ-साथ क्लाउड आधारित साझा सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, रख-रखाव संबंधी सहायता एवं प्रशिक्षण सहित मौजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा जिसमें राज्यों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करने संबंधी लचीलापन होगा। केन्द्र और राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू) स्थापित की जायेंगी। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तरीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन राज्यों के मामले में जहां पैक्स का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो चुका है, 50,000 रुपये प्रति पैक्स की दर से भुगतान किया जाएगा बशर्ते कि वे साझा सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत होने/अपनाने के लिए सहमत हों, उनका हार्डवेयर आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करता हो और उनका सॉफ्टवेयर 1 फरवरी, 2017 के बाद शुरू किया गया हो। [9,10]

## परिणाम

कृषिगत उद्देश्यों के लिये विभिन्न प्रकार की साख सीमायें यथा मौसमी परिचालन हेतु अल्पकालीन साख सीमा, मध्यकालीन परिवर्तन ऋण, उर्वरक नगद साख सीमा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को स्वीकृत की जाती हैं। वर्ष 2020-21 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से रू. 16000.00 करोड़ के कृषि उत्पादन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्व जिला बैंकों द्वारा रू. 14877.56 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

### अल्पकालीन (मौसमी कृषि परिचालन) उत्पादन ऋण

मौसमी कृषि उत्पादन हेतु तिलहन और आयलपाम पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन, आदिवासी जनसंख्या विकास योजना एवं अन्य फसलों के लिये जिला सहकारी बैंकों को अल्पकालीन साख सीमायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

### (अ) अन्य फसलों हेतु अल्पकालीन साख सीमा

वर्ष 2020-
21 में मौसमी कृषि उत्पादन हेतु तिलहन एवं दलहन के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को कुल राशि रू.6080.71 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू.5546.56 करोड का उपयोग किया गया है।

### (ब) तिलहन और आॅयलपाम पर राष्ट्रीय मिशन अन्तर्गत अल्पकालीन साख सीमा

वर्ष 2020-
21 में राष्ट्रीय मिशन तिलहन एवं आइल पाम, योजनांतर्गत प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को कुल राशि रू.3964.67 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू.3765.62 करोड का उप योग किया गया है। [11,12]

### (स) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दालें अंतर्गत अल्पकालीन साख सीमा

वर्ष 2020-
21 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजनांतर्गत प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को कुल राशि रू.1

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

07.20 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू.94.78 करोड का उपयोग किया गया है।

### (द) आदिवासी जनसंख्या विकास योजनांतर्गत अल्पकालीन साख सीमा

भारत शासन द्वारा वर्ष 1995-96 से आदिवासी कृषकों के विकास हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में जिला बैंकों के लिए कुल राशि रू.1138.01 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू.987.05 करोड का उपयोग किया गया है।

### लघु एवं सीमांत कृषकों को ऋण वितरणः-

राज्य के लघु एवं सीमांत कृषकों को वर्ष 2020-21 में राशि रू.7193.69 करोड़ का अल्पकालीन फसल उत्पादन ऋण स्वीकृत किया गया।

### रासायनिक खाद नगद साख सीमा :-

म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल से रासायनिक खाद क्रय हेतु वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 13 जिला सहकारी बैंकों को राशि रू. 101.50 करोड़ की रासायनिक खाद नगद साख सीमा स्वीकृत की गई तथा वर्ष 2020-21 के दौरान 23.72 मी.टन खाद कृषकों को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई।[13,14]

### कृषि ऋण वितरणः-

वर्ष 2020-21 में राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से राशि रू.16000.00 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से खरीफ एवं रबी मौसम में वितरित ऋण की वर्षवार प्रगति की जानकारी निम्नानुसार हैः-

| वर्ष | खरीफ वितरण | | रबी वितरण | | कुल वितरण | | वर्ष 2011-12 की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वितरण | लक्ष्य | वितरण | लक्ष्य | वितरण | % |
| 2019-20 | 13000.00 | 7752.29 | 5000.00 | 3718.76 | 18000.00 | 11471.05 | 150.35 |
| 2020-21 | 12000.00 | 9579.70 | 4000.00 | 5297.86 | 16000.00 | 14877.56 | 195.01 |

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

**किसान क्रेडिट कार्ड योजना**:-

कृषक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत ऋण सुविधा प्रदान करने के लिये 15 जिला सहकारी बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरूआत की गई जिसे बाद में राज्य के समस्त जिला सहकारी बैंकों में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से लागू किया गया। वर्षवार प्रगति की जानकारी निम्नानुसार हैः-

| वर्ष | कुल वितरित किसान क्रेडिट कार्ड |
|---|---|
| 2019-20 | 3710890 |
| 2020-21 | 3792408 |

प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में हम बडे अंशधारी हैं। दिनांक 31.03.2021 पर कुल वितरित किसान क्रेडिट कार्ड **6299769** में से हमारा अंश 3792408 है, जो कि कुल वितरित कार्ड का **60.20 प्रतिशत** है।

**शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण**

राज्य शासन के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 से राशि रू.3.00 लाख तक के फसल ऋण समय पर अदा करने वाले कृषकों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2018-19 तक राज्य शासन द्वारा 6 प्रतिशत एवं केन्द्र शासन द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 2019-20 में राज्य शासन द्वारा 5.50 प्रतिशत एवं केन्द्र शासन द्वारा 5 प्रतिशत [15,16] एवं 2020-21 में राज्य शासन द्वारा 5 प्रतिशत एवं केन्द्र शासन द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में राज्य शासन से राशि रू.236.18 करोड़ अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज सहायता एवं राशि रू.19.22 करोड़ मध्यकालीन परिवर्तन ऋण पर ब्याज सहायता सहकारी समितियों को उपलब्ध करायी गयी ।

**भू-अभिलेख पोर्टल पर ऋणों की प्रविष्टी**

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं उनसे संबंद्व सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्य कृषकों के फसल ऋण एवं कृषि सावधि ऋणों की प्रविष्टी भू-अभिलेख पोर्टल पर ऑनलाईन किये जाने की व्यवस्था राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। दिनांक 31.03.2021 तक 14 हजार कृषकों की प्रविष्टी की जा चुकी है।

**प्राथमिक कृषि ऋण समिति** (Primary Agricultural Credit Society (PACS)), भारत में सबसे मूलभूत और सबसे छोटी सहकारी ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। यह सबसे निचले स्तर (ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर) पर कार्य करती है। भारत में लगभग एक लाख प्राथमिक ऋण समितियाँ हैं जिसमें अकेले महाराष्ट्र में इक्कीस हजार से अधिक समितियाँ हैं।

जून २०२२ में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की दक्षता बढ़ाने तथा उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने और पैक्स

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

को अपने व्यवसाय में विविधता लाने व विभिन्न गतिविधियां/सेवाएं शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में कुल 2516 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय होगा, जिसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 1528 करोड़ रुपये की होगी। पांच वर्षों की अवधि में लगभग 63,000 कार्यरत पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है। इससे करीब 19 करोड़ किसानों को लाभ होगा।ध्यातव्य है कि लघु और सीमांत किसानों को ऋण देने में इन समितियों की भूमिका लगभग 50 फीसदी है।[17]

## निष्कर्ष

**प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि** भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रारंभ में छोटे और सीमान्त किसानों को ही जिनके पास पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि हो पात्र माना गया था परंतु बाद में इसे विस्तार देते हुए सभी कृषकों के लिए लागू कर दिया गया।

इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रूपया मिल रहा है। 1 दिसम्बर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ₹ 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है।[1] अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2 हजार की सहायता राशि दी जा रही है।

योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। उस समय सरकार ने इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का अग्रिम बजटीय प्रावधान करा लिया था, जबकि योजना पर सालाना खर्च 75 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या अधिक होने के कारण एवं इस योजना में किसानो की दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च में बढ़ोतरी हुई है।[15]

छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नगदी से बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सुविधा हो रही है।

इन छोटे किसानों में ज्यादातर सीमान्त हैं, जिनका खेती से पेट भरना मुश्किल है। लेकिन इस योजना के आने के बाद किसान इसका लाभ ले कर काफी खुश हैं।

इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर खेती वाली जमीन से कम रकबा वाले किसानों को दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकारें ऐसे किसानों की जोत के साथ उनके बैंक खाते और अन्य ब्यौरा केंद्र सरकार को मुहैया कराती है। उसकी पुष्टि के बाद केन्द्र सरकार ऐसे किसानों के बैंक खातों में सीधे धन जमा करती है। योजना की सफलता में डिजिटल प्रणाली की भूमिका अहम साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसान भाई दो माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, पहला माध्यम कॉमन सर्विस सेंटर है, दूसरा माध्यम किसान भाई खुद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं

### कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से पीएम किसान योजना के लिए कैसे आवेदन करें

- किसान योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाना होगा।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |

- वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज ले कर जाना होगा।
- CSC संचालक को सभी डॉक्यूमेंट दें और किसान योजना में आवेदन करने को कहें।
- आवेदन शुल्क देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन और आवेदन हो जायेगा
- आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है. मात्र 5 से 10 मिनट में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।[16]

## ऑनलाइन खुद कैसे आवेदन करें

- सबसे पहले पीएम किसान योजना[2] के लिए नया आवेदन करने के लिए pmkisan.gov.in/ Archived 2020-04-22 at the Wayback Machine पर जाएँ, यह पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट है।
- अब यहां New Farmer Registration के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपना आधार नंबर सब्मिट करना है।
- आधार नंबर सब्मिट करने के बाद किसान योजना आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और फॉर्म को सब्मिट कर दें
- इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जायेगा

आवेदन के पश्चात् आपका आवेदन सत्यापन के लिए आपके ब्लॉक में भेज दिया जाएगा. ब्लॉक में वेरीफाई होने के बाद आपका आवेदन जिला कल्याण विभाग को भेज दिया जाएगा. उसके बाद राज्य सरकार इसको सत्यापित करेगी और अंत में केंद्र सरकार के पास आपका आवेदन ऑनलाइन ही सत्यापन के लिए पहुच जायेगा.

केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सहायता राशि आपके खाते में आनी शुरू हो जायेगी।[17]

## संदर्भ


1. कैबिनेट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दी
2. "पीएम-किसान सम्मान निधि". अभिगमन तिथि 25 जून 2022.
3. ↑ "पीएम किसान योजना". इंडियाटाइम्स. अभिगमन तिथि 25 जून 2022.
4. "Loans In India". Loans In India. अभिगमन तिथि 2022-07-22.
5. ↑ जोसेफ स्वानसन और पीटर मार्शल, हौलिहान लोकी व लींडन नोरले, किर्कलैंड और एलिस अंतर्राष्ट्रीय एलएलपी (LLP) (2008). अ प्रेकटिशनर'ज़ गाइड टू कोरपोरेट रीस्ट्रकचरिंग पृष्ठ 5. सिटी एंड फिनेंशिअल पब्लीशिंग, पहला संस्करण आईएसबीएन (ISBN): 9781905121311
6. ↑ औपचारिक रूप से, डी % की छूट का परिणाम है, का प्रभावी ब्याज.
7. ↑ 5 Ways to Get Out of Debt Faster. Kiplinger. 2007. Archived from the original on 15 सितंबर 2008. अभिगमन तिथि: 23 जून 2010.
8. "25 YEARS OF DEDICATION TO RURAL PROSPERITY". Nabard.org. मूल से 19 जुलाई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-01.

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580|

| Volume 9, Issue 12, December 2022 |

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2022.0912013 |


9. ↑ "Apex Development Bank with a mandate for facilitating credit flow". Nabard.org. मूल से 19 जुलाई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-01.
10. ↑ "Nabard Rural Innovation Fund | Agriculture and Industry Survey". Agricultureinformation.com. मूल से 16 जुलाई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-01.
11. ↑ ईडीए (EDA) और एपीएमएएस (APMAS) सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया: अ स्टडी ऑफ़ द लाइट्स एंड शेड्स, केयर (CARE), सीआरएस (CRS), यूएसएआईडी (USAID) एंड जीटीज़ेड (GTZ), 2006, पृष्ठ 11
12. ↑ "Nabard can help change face of rural India". द हिन्दू Business Line. 2010-06-28. मूल से 14 सितंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-01.
13. ↑ "NABARD – SDC rural innovation fund". Indiamicrofinance.com. मूल से 2 दिसंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-01.
14. ↑ "SSRN-Evaluating Effectiveness Among Cooperatives vis-a-vis Other Social Institutes - A Case Study of Nabard's Rural Innovation Fund & Other Schemes by Vrajlal Sapovadia". Papers.ssrn.com. मूल से 29 जून 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-01.
15. ↑ "Karnataka lags in using Nabard rural infra fund". Business-standard.com. 2010-04-12. मूल से 14 अप्रैल 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-01.
16. ↑ "National Bank for Agriculture and Rural Development". Nabard.org. मूल से 29 सितंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-01.
17. ↑ "National Bank for Agriculture and Rural Development". Nabard.org. मूल से 29 सितंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-09-01.

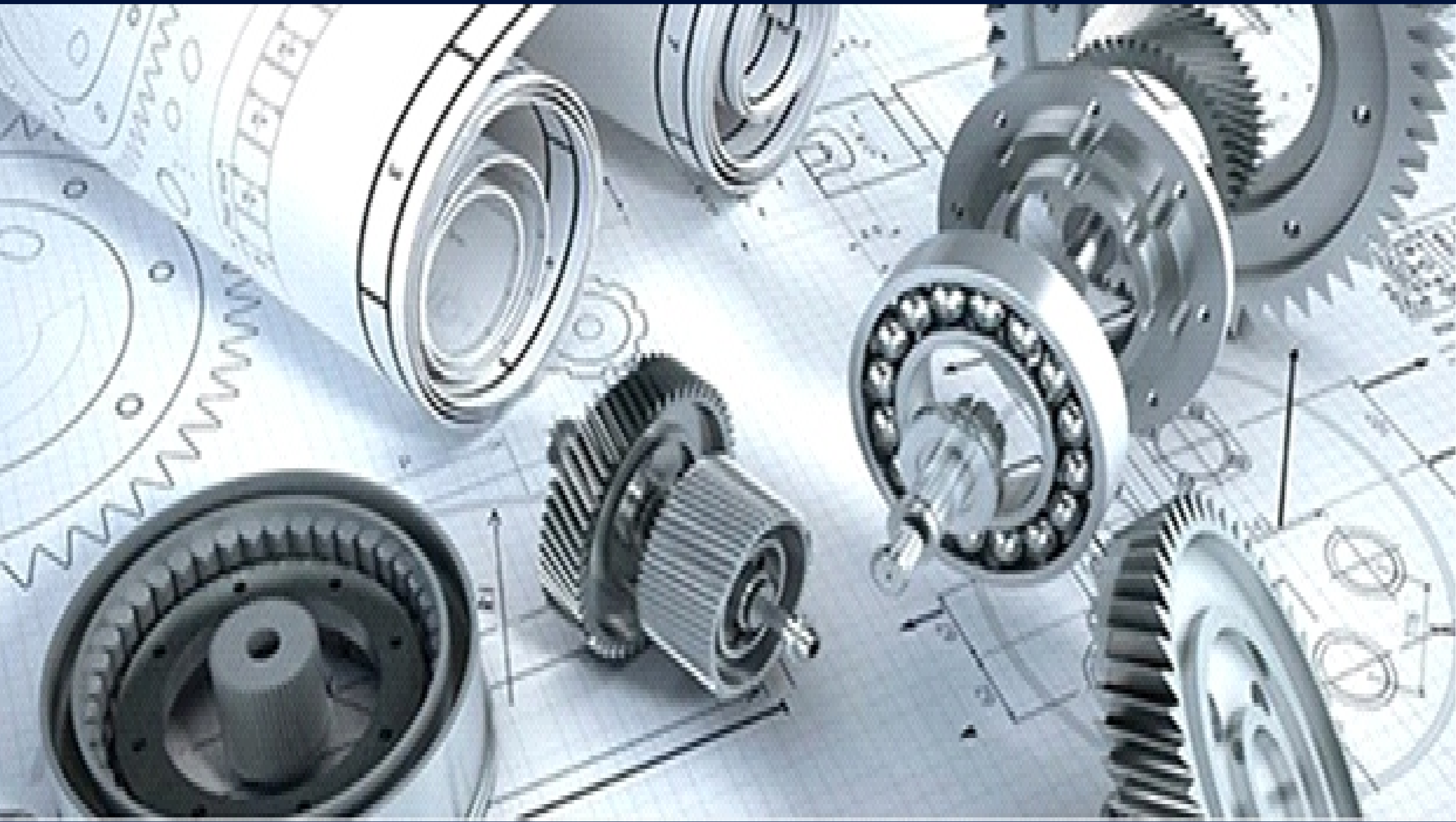

Impact Factor:
7.580

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com

www.ijmrsetm.com